

किराये पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय भवन के लिये विवरण व शर्तें :-

1. केवल भवन स्वामी व्यक्ति /संस्थायें ही आवेदन करें, आवेदन के साथ स्वामित्व का प्रमाण तथा अनुमोदित मानचित्र की प्रमाणित फोटो कापी संलग्न करें ।
2. प्रस्तावित भवन में पीने के लिये पानी तथा अन्य कार्यों हेतु पानी की उचित आपूर्ति तथा संग्रह व्यवस्था होनी चाहिये ।
3. भवन के सामने आगुन्तुकों तथा कर्मचारियों के लिये पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए ।
4. भवन में महिला तथा पुरुष प्रसाधनों की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए ।
5. भूतल के भवनों को प्राथमिकता प्रदान दी जावेगी ।
6. आवेदन में वर्ग मीटर किराये की दर प्रत्येक कमरे आदि का क्षेत्रफल तथा कुल किराया अलग-अलग दर्शाना होगा ।
7. 5 किलोवाट विद्युत लोड व भवन की छत पर एन्टिना /टावर लगाने की सहमति आवेदन के साथ दें ।
8. भविष्य में जेनेरेटर के लिये स्थान का प्रावधान होना चाहिए ।
9. आवेदन की जांच के उपरांत गठित समिति द्वारा भवन उपयुक्त पाये जाने तथा समक्ष अधिकारी की स्वीकृत के उपरांत सफल आवेदक को रू.100/- के नान जूडिस्यल स्टॉप पेपर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की शर्तों के आधीन लीज एग्रीमेंट करना होगा ।
10. किसी भी प्रस्ताव /आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार राज्य चिकित्सा आयुक्त, उ0प्र0 को होगा ।

राज्य चिकित्सा आयुक्त